20/2 मू0क0अ0
-06-2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 5209 /12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, ~~मई~~ 02/06/ 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी–भेडगांव–गुडिण्डा मोटर मार्ग के तिलखोली–जजेड़ी तक विस्तार कार्य हेतु 1.796 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र सं0 905/FP/UK/ROAD/10168/2015 दिनॉक 30.09.2022 एवं पत्रांक 2637/FP/UK/ROAD/10894/2015 दिनांक 18.05.2023 एवं इस कार्यालय की पत्र सं0 1418/12–1, दिनांक 20–10–2022, पत्रांक 5135/12–1, दिनांक 30–05–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत करना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने अपनी पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/170/2015/एफ0सी0/153 दिनांक 29.04.2022 से विषयगत प्रकरण में 02 बिन्दु पर सूचना मांगी गई है, जिसमें कि बिन्दु सं0 1 से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय से प्रेषित की जानी है तथा बिन्दु सं0–2 के अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र सं0 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार आपके द्वारा NPV की संशोधित धनराशि जमा की जानी है, जिसका डिमांड नोट आपको उक्त सन्दर्भित पत्र से निम्न प्रकार से प्रेषित किया गया थाः–

एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2011–एफ0सी0, दिनांक 06–01–2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

ईको क्लास	–	V^{th}
हरियाली का घनत्व	–	0.3
एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	–	रू0 10,05,210.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	–	1.796 है0
एन0पी0वी0 की धनराशि	–	1.796 X 10,05,210.00 = 18,05,357.16 या रू0 18,05,357.00

(रू0 अट्ठारह लाख पांच हजार तीन सौ सत्तावन) मात्र

आपको पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट के अनुसार आपके द्वारा जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि 11,79,972.00 तथा भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसार आपके द्वारा अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है रू0 18,05,357.00 – 11,79,972.00 = 6,25,385.00 (रू0 छः लाख पच्चीस हजार तीन सौ पिच्चासी) मात्र की धनराशि अतिरिक्त जमा की जानी है, जिसमें आपके द्वारा आतिथि तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप भारत सरकार के दिशा–निर्देश के कम में उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।

भवदीय,
(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,

AE I 123